

प्रेषक,

श्री रामप्रसाद गोतम,
संयुक्त रूप से,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेक्रेटरी सुलोकान,
2/17 संजय विहार, कलकत्ता रोड,
दौरवागंज, नई दिल्ली।

विशाला[17] अनुभाग

संज्ञानज:दिनांक 11 अगस्त, 1987

विषय:- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेक्रेटरी सुलोकान, आगरा को अनामत प्रमाणपत्र दिए जाने के संबंध में।

संदर्भ,

सुले यह बताने का निवेदन हुआ है कि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेक्रेटरी सुलोकान, आगरा को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेक्रेटरी सुलोकान, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन आती है:-

[क] सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विषय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विषय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधापी, पिछड़े वर्ग निर्धन आय वर्ग के वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/ सीक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विषयों में विभिन्न जातों के लिए निर्धारित शूल से अधिक शूल नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को यह राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विषय में अनुदान तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

[अ] विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होनी तथा समय-समय पर नियमावली के अनुसार नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक कक्षा-का, दो वैकल्पिक विभाग का, दो प्रयोग शाला का तथा ^{एक} चार प्रयात्निक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- 3- कार्यवाहियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें तथाकथान प्राप्त आतासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों को अनुसन्ध सेवा-निम्नीस्तक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगी।
- 4- विद्यालय का सेवा-जोडा निधारित प्रपनों/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उत्सर्जन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापीरित प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भाषदीय,


! स्वतंत्रता मोर्चा !
संयुक्त संघिया।

संख्या- 3420 11/15-17-87-वर्दीनार्क:

प्रतिनिधि निम्नीकता को सुवन्ध प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उज्जु, झाडाबाध।
- 2- उप शिक्षा निदेशक, आगरा मज्ज, आगरा।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उज्जु, लाना।
- 5- प्रबन्धक, सेन्ट जोर्ज्स हाई स्कूल, आगरा।

आज्ञा से,


! स्वतंत्रता मोर्चा !
संयुक्त संघिया।